# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 32/2023** **दायर दिनांकः 21.09.2023**

**उनवान**

1. पानाचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति सहरिया
2. धन्नी बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व० पन्नालाल जाति सहरिया
3. निर्मला आयु 55 वर्ष पुत्री पन्नालाल जाति सहरिया
4. मांगी बाई आयु 62 वर्ष पुत्री पन्नालाल जाति सहरिया
5. शकुन्तला बाई आयु 40 वर्ष पुत्री पन्नालाल जाति सहरिया
6. नटी बाई आयु 50 वर्ष पत्नि स्व० ओमप्रकाश जाति सहरिया
7. कविता आयु 22 वर्ष पुत्री ओमप्रकाश जाति सहरिया
8. भूरालाल आयु 26 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति सहरिया
9. विनोद आयु 30 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश जाति सहरिया निवासीगण बरलां तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 8882551468

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट**

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनाकः 26.05.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बरला पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 97 का ख.नं. 299 का रकबा 1.03 हे०, ख.नं. 300 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 301 का रकबा 0.24 हे०, ख.नं. 302 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 303 का रकबा 0.04 हे०, ख.नं. 307 का रकबा 0.03 हे०, ख.नं. 308 का रकबा 0.08 हे०. ख.नं. 309 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, ख.नं.

310 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 311 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 312 का रकबा 0.07 हे0 कुल किता 11 का कुल रकबा 1.69 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीगण की जाति सहरिया के स्थान पर भील गलत दर्ज कर दी। जबकि प्रार्थीगण की ग्राम बरलां की खाता 93 एवं 95 में जाति सहरिया दर्ज है जो सही दर्ज है एवं प्रार्थीगण के दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र पन्नालाल एवं ग्राम पंचायत बरलां का प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज में प्रार्थीगण की सही जाति सहरिया सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम बरलां की आराजी खाता संख्या 97 में प्रार्थीगण की जाति भील के स्थान पर सहरिया दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण की जाति सही दर्ज नही की गई तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण की जाति भील के स्थान पर सही जाति सहरिया दर्ज की जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम बरलां की आराजी खाता संख्या 97 में प्रार्थीगण की जाति भील के स्थान पर सही जाति सहरिया दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया। साक्ष्य प्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 पानाचन्द पुत्र पन्नालाल जाति सहरिया निवासी बरलां Pw2 भूरालाल पुत्र ओमप्रकाश जाति सहरिया निवासी बरलां Pw3 विनोद पुत्र ओमप्रकाश जाति सहरिया निवासी बरलां तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए। अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बरलां सम्वत 2074–77 खाता संख्या 97 (प्रदर्श–P1), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बरलां सम्वत 2074–77 खाता संख्या 93 (प्रदर्श–P2), नकल जमाबन्दी ग्राम

व माल बरलां सम्वत 2074–77 खाता संख्या 95 (प्रदर्श–P3), आधार कार्ड पानाचन्द, आधार कार्ड धन्नी बाई, आधार कार्ड निर्मला बाई, आधार कार्ड मांगी बाई, आधार कार्ड सुगन्तला बाई, आधार कार्ड नटी बाई, आधार कार्ड कविता बाई, आधार कार्ड भूरालाल, आधार कार्ड विनोद, मृत्यु प्रमाण पत्र पन्नालाल सहरिया, परिवार राशन कार्ड पानाचन्द, नकल जमाबन्दी सेटलमेंट ग्राम बरला साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया गया। ग्राम बरलां तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 93 व खाता संख्या 95 में प्रार्थीगण की जाति सहरिया दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य गवाहान तथा राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प0 4(1)राज–6/2002/16 जयपुर दिनांक 28.12.2017 के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बरला पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 97 का ख.नं. 299 का रकबा 1.03 हे०, ख.नं. 300 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 301 का रकबा 0.24 हे०, ख.नं. 302 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 303 का रकबा 0.04 हे०, ख.नं. 307 का रकबा 0.03 हे०, ख.नं. 308 का रकबा 0.08 हे०. ख.नं. 309 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, ख.नं. 310 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 311 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 312 का रकबा 0.07 हे0 कुल किता 11 का कुल रकबा 1.69 हेक्टर आराजी में प्रार्थीगण की जाति भील के स्थान पर सहरिया दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## –::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बरला पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 97 का ख.नं. 299 का रकबा 1.03 हे०, ख.नं. 300 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 301 का रकबा 0.24 हे०, ख.नं. 302 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 303 का रकबा 0.04 हे०, ख.नं. 307 का रकबा 0.03 हे०, ख.नं. 308 का रकबा 0.08 हे०. ख.नं. 309 का रकबा 0.01 हे० गै.मु.चाह, ख.नं. 310 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 311 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 312 का रकबा 0.07 हे0 कुल किता 11 का कुल रकबा 1.69 हेक्टर आराजी में प्रार्थीगण की जाति भील के स्थान पर सहरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी में शेष अंकन यथावत रहेंगे।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**